

समाचार वाणी

खबर जो करें असर !

नाशिक | Wednesday, 26 August 2026

कन्नौज हत्याकांड : टाइल मिस्त्री और ससुराल वाले ने महिला की हत्या की, मुँह में डाला कंक्रीट मिक्स

Sanket Morankar

Published on 24 Sep 2025



उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक महिला की हत्या के मामले ने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया है। पुलिस के अनुसार, मृतका के मुँह में कंक्रीट मिक्स भरकर उसकी हत्या की गई। इस हत्याकांड में मृतका के पड़ोस में रहने वाले टाइल मिस्त्री और उसके ससुराल वालों का हाथ बताया जा रहा है।

घटना की जानकारी स्थानीय पुलिस को तब मिली जब पड़ोसियों ने घर से अजीब आवाजें सुनकर पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने घर पर जाकर देखा कि महिला गंभीर हालत में पड़ी हुई थी और तुरंत उसे अस्पताल ले जाया गया। हालांकि, अस्पताल पहुंचने से पहले ही महिला की मौत हो चुकी थी।

पुलिस ने बताया कि प्रारंभिक जांच में पता चला कि महिला की हत्या उसके मुँह में कंक्रीट मिक्स भरकर की गई। यह घटना न केवल बेहद क्रूर है बल्कि शातिराना ढंग से की गई हत्या के तौर पर भी सामने आई है। पुलिस ने मौके से कुछ सबूत भी जब्त किए हैं और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है।

सूत्रों के अनुसार, महिला और टाइल मिस्त्री के बीच पहले से विवाद चल रहा था। बताया जा रहा है कि घरेलू कारणों और व्यक्तिगत कलह के चलते यह हिंसक कदम उठाया गया। मृतका के परिवार वाले भी इस घटना से गहरे सदमे में हैं। उन्होंने पुलिस से न्याय की मांग की है और आरोपियों को कड़ी सजा देने की अपील की है।

पुलिस अधीक्षक ने मीडिया को बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए एक विशेष टीम का गठन किया गया है। टीम आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है और घर के आसपास के सीसीटीवी फुटेज और गवाहों से पूछताछ की जा रही है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि इस घटना में मृतका के ससुराल वालों की भी भूमिका हो सकती है।

स्थानीय लोग इस घटना को लेकर काफी चिंतित हैं। कई लोगों का कहना है कि इस तरह की क्रूर हत्याओं से समाज में भय का

माहौल बनता है और महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल उठता है। उन्होंने प्रशासन और पुलिस से मांग की है कि इस मामले में जल्द से जल्द न्याय सुनिश्चित किया जाए।

कानून विशेषज्ञों का कहना है कि इस प्रकार की हत्या अत्यंत गंभीर अपराध है और इसे केवल हत्या ही नहीं बल्कि अत्यधिक क्रूरता और शातिराना ढंग से करने के मामले में अग्रिम सजा का मामला माना जाएगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और अन्य संबंधित धाराओं के तहत आरोपियों को गिरफ्तार कर कड़ी सजा दी जा सकती है।

इस हत्याकांड ने समाज में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर चेतावनी दी है। विशेषज्ञों का कहना है कि परिवार, पड़ोसी और समाज को मिलकर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। साथ ही, प्रशासनिक स्तर पर भी ऐसे मामलों की रोकथाम के लिए विशेष कदम उठाए जाने की जरूरत है।

पुलिस ने कहा कि वह इस मामले में किसी भी लापरवाही की इजाजत नहीं देगी और आरोपी चाहे कोई भी हो, उसे कानून के अनुसार सजा दिलाई जाएगी। पुलिस ने स्थानीय लोगों से अपील की है कि वे जांच में सहयोग करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत अधिकारियों को दें।

कन्नौज हत्याकांड ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है और लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया है। यह घटना यह दर्शाती है कि घरेलू और व्यक्तिगत कलह किस हद तक हिंसक रूप ले सकता है। इस क्रूर हत्या ने समाज में भय का माहौल पैदा कर दिया है और महिलाओं की सुरक्षा पर गहरा सवाल उठाया है।

संक्षेप में, कन्नौज की इस हत्याकांड ने समाज और प्रशासन दोनों के लिए गंभीर चुनौती पेश की है। पुलिस की त्वरित कार्रवाई और प्रशासनिक सतर्कता ही इस मामले में न्याय सुनिश्चित कर सकती है।

DISCLAIMER: the views/contents expressed/presented herein, within this advertorial and promotional feature are the sole and exclusive responsibility of individual clients/expert/their authorised representative/Sanket Morankar, to which effect, publication house/its representative/affiliates are not responsible/liable whatsoever.